

क्र. सं. - 80/19
दिनांक - 07.08.2019
दिनांक - 30.09.2019

बड़नवान

1. लक्ष्मण नागर उम्र 30 वर्ष पुत्र बृजमोहन जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)
2. मोरज नागर उम्र 23 वर्ष पुत्र रूपनारायण जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

वादीगण

-बनाम-

1. बृजमोहन पुत्र राधाकिशन जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)
2. लोकेश पुत्र बृजमोहन जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)
3. मजीत नागर पुत्र बृजमोहन जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)
4. रूपनारायण पुत्र राधाकिशन जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)
5. रोहित नागर पुत्र रूपनारायण जाति धाकड़ निवासी मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)
6. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :- 30-9-19

वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90 एवं 188 आर०टी०ए० जरिये अभिभाषक सत्यनारायण गोयल इस आशय का पेश किया -

1. यह कि ग्राम मामली घटवार हल्का मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०) में आराजियात् खेवट खतोनी नई 77 पुरानी 76 ख.नं. 41 रकबा 18.11 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 9.27 रु., ख.नं. 81 नहरवाला रकबा 16.17 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 8.43रु., ख.नं. 151 बडवाला रकबा 5 विस्वा किस्म खेडा 1 लगानी 0.40रु., ख.नं. 157 बडवाला रकबा 1.19 बीघा किस्म खेडा 1लगानी 3.12 रु., ख.नं. 162 खेडावाला रकबा 5 विस्वा किस्म खेडा 1 लगानी 0.40रु., ख.नं. 196 रकबा 20.15 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 10.38रु., ख.नं. 197 रकबा 26.00 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)




वाराणी 2 लगानी 13.00 रु., ख.नं. 206 रकबा 6.12 बीघा किस्म वाराणी
लगानी 1.08 रु. कुल किता 8 कुल रकबा 91.04 बीघा स्थित है इस मद में
वाराणी को वाद पत्र में वादग्रस्त आराजियात् के नाम से सम्बोधित किया

5A

कि वादग्रस्त आराजियात् के वर्तमान सहखातेदार वादी क्रम 1 के पिता
वृजमोहन व वादी क्रम 2 के पिता प्रतिवादी क्रम 4 रूपनारायण है
प्रतिवादी क्रम 1 व 4 को अपने पूर्वजो की विरासत से प्राप्त हुई है।
प्रतिवादी क्रम 1 के वर्तमान में केवल 3 पुत्र वादी क्रम 1 संदीप नागर प्रतिवादी क्रम
प्रतिवादी क्रम 3 मंजीत नागर है इनके अलावा प्रतिवादी क्रम 1 के
आराजी में हक एवं अधिकार जताने वाला अन्य कोई प्रतिवादी क्रम 1 का
वर्तमान में जीवित नहीं है। एवं प्रतिवादी क्रम 4 के वर्तमान में केवल 2 पुत्र
नीरज नागर प्रतिवादी क्रम 5 रोहित नागर है इनके अलावा प्रतिवादी
आराजी में हक एवं अधिकार जताने वाला अन्य कोई प्रतिवादी
वर्तमान में जीवित नहीं है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 4
पूर्वजो से प्राप्त हुई है इस कारण विवादित भूमि में वादीगण का
हक है वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के मध्य हुये मौखिक
अनुसार विवादित भूमि में खाता सं. 77 कुल किता 8 कुल रकबा 91.04
वादी क्रम 1 को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 को
3-1/8-1/8 हिस्सा प्राप्त हुआ है एवं वादी क्रम 2 को 1/6 हिस्सा व
वादी क्रम 4 व 5 को 1/6-1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ है। जिस पर वादीगण एवं
वादी क्रम 1 लगायत 5 काविज काश्त करते चले आ रहे है। इस कारण
गण विवादित आराजी में प्राप्त वादी क्रम 1 के हिस्से 1/8 पर व वादी क्रम 2
हिस्से 1/6 पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का संयुक्त हिन्दू परिवार है
का विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 मद नं. 1 वाद
में वर्णित वादग्रस्त भूमि में से मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि के अपने अपने
सो पर काविज काश्त करते चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 व 4
अधिकृत जबरन वादीगण को उनके जायज हक से वंचित करने के उद्देश्य से
नं. 1 वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजियात् को रहन बेचान व अन्य प्रकार से
तरण कर खुर्द बुर्द करने व वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने पर
मादा है इस कारण वादीगण खिलाफ प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त
रने का अधिकारी एवं नालिशी है।

यह कि वादी ने राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि तहसीलदार किशनगंज को
दिनांक 2.7.2019 को इस वावत् निवेदन किया परन्तु उन्होने कोई सहायता नहीं की
था दावा करने की सलाह दी यही से वादकारण पैदा हुआ। दिनांक 2.7.2019 को
प्रतिवादी क्रम 1 व 4 ने वादीगण के हकूक मानने से मना कर दिया। प्रतिवादी क्रम
1 व 4 ने दिनांक 2.7.2019 को वादीगण को धमकी दी है कि चाहे लाशे गिर जाये
विवादित भूमि वर्णित मद नं. 1 वाद पत्र में स्थित प्रतिवादी क्रम 1 व 4 के हिस्से


उपस्थान्त अधिकारी
किशनगंज, जिला वाराणी (राज.)

प्रतिवादी क्रम 1 व 4 रहन बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण कर खुद बुर्द करके को मोखिक विभाजन मे प्राप्त भूमि से बेदखल करके रहेंगे ।
कारण वादीगण खिलाफ प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के यह कि वादीगण नालिशी है ।
कारण वादीगण द्वारा राजस्थान सरकार को जर्गे जिला कलक्टर महोदय के अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 25.07.2019 को अन्तर्गत धारा 80 सी.पी. का नोटिस अवधि 2 माह प्रेषित कर दिया है परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का कारण 2 माह तक इंतजार किया जाना संभव नहीं है । इस कारण वाद प्रकृति का होने के कारण 80(2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत

यह कि वाद कारण दिनांक 2.7.2019 को उत्पन्न हुआ ।

यह कि वाद उचित न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व क्षेत्राधिकार मे अवधि मध्य प्रस्तुत है ।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चरण क्रम 1 वाद पत्र मे वर्णित आराजियात् ग्राम मामली पटवार हल्का मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी नई 77 पुरानी 76 ख.नं. 41 रकबा 18.11 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 9.27 रु., ख.नं. 81 नहरवाला रकबा 16.17 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 8.43रु., ख.नं. 151 बडवाला रकबा 5 बिस्वा किस्म खेडा 1 लगानी 0.40रु., ख.नं. 157 बडवाला रकबा 1.19 बीघा किस्म खेडा 1लगानी 3.12रु., ख.नं. 162 खेडावाला रकबा 5 बिस्वा किस्म खेडा 1 लगानी 0.40रु., ख.नं. 196 रकबा 20.15 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 10.8रु., ख.नं. 197 रकबा 26.00 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 13.00 रु., ख.नं. 206 रकबा 6.12 बीघा किस्म बारानी तृतीय लगानी 1.98 रु. कुल किता 8 कुल रकबा 31.04 बीघा पर वादी क्रम 1 संदीप नागर को हिस्से 1/8 पर एवं वादी क्रम 2 नीरज नागर को हिस्से 1/6 पर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान पर वादी क्रम 1 संदीप नागर का व प्रतिवादी क्रम 4 के स्थान पर वादी क्रम 2 नीरज नागर का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें एवं विवादित भूमि वादीगण के हक मे खिलाफ प्रतिवादीगण आदेशात्मक एवं निषेधात्मक स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादीगण के हकूक मे दखलंदाजी न करने के लिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें । अन्य न्यायोचित सहायता वादीगण को प्रदान की जावें ।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्ट किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये । नियत तिथि को प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक एड0 एस0के0 राणा ने वकालत नामा पेश किया । उभय पक्ष ने राजीनामा इस आशय का पेश किया-

यह कि ग्राम मामली पटवार हल्का मामली तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी नई 77 पुरानी 76 ख.नं. 41 रकबा 18.11 बीघा किस्म बारानी 2 लगानी 9.27रु., ख.नं. 81 नहरवाला रकबा 16.17 बीघा किस्म बारानी 2

उपस्थंड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)

157 बडवाला रकबा 5 बिस्वा किस्म खेडा 1 लगानी 0.40रु.
 157 बडवाला रकबा 1.19 बीघा किस्म खेडा 1 लगानी 3.12 रु., ख.नं. 162
 किस्म बरानी 2 लगानी 10.38रु., ख.नं. 197 रकबा 26.00 बीघा किस्म बरानी
 13.00 रु., ख.नं. 206 रकबा 6.12 बीघा किस्म बरानी तृतीय लगानी 1.
 कुल किता 8 कुल रकबा 91.04 बीघा स्थित है इस मद में वर्णित
 राजीनामे को वाद पत्र में वादग्रस्त आराजियात् के नाम से सम्बोधित किया गया

(53)

यह कि वादग्रस्त आराजियात् के संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 5
 आपस में राजीनामा हो गया है राजीनामा निम्न प्रकार से है :-

राज.सं.	ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे में प्राप्त भूमि
41		18.11 बीघा	
81		16.17 बीघा	
151		5 बिस्वा	
157		01.19 बीघा	हिस्सा 1/8
162		5 बिस्वा	
196		20.15 बीघा	
197		26.00 बीघा	
206		06.12 बीघा	

कुल किता 8 कुल रकबा 91.04 बीघा


i) राजीनामे में प्रतिवादी कम 1 बृजमोहन को प्राप्त भूमि

राज.सं.	ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे में प्राप्त भूमि
41		18.11 बीघा	
81		16.17 बीघा	
151		5 बिस्वा	
157		01.19 बीघा	हिस्सा 1/8
162		5 बिस्वा	
196		20.15 बीघा	
197		26.00 बीघा	
206		06.12 बीघा	

कुल किता 8 कुल रकबा 91.04 बीघा

iii) राजीनामे में प्रतिवादी कम 2 लोकेश को प्राप्त भूमि

राज.सं.	ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे में प्राप्त भूमि
77	41	18.11 बीघा	


 उपस्थंड अधिकारी
 किसानमंज, जिला वारों (राज.)

81	16.17 बीघा	
151	5 बिस्वा	
157	01.19 बीघा	हिस्सा 1/8
162	5 बिस्वा	
196	20.15 बीघा	
197	26.00 बीघा	
206	06.12 बीघा	

कुल किता 8 कुल रकबा 91.04 बीघा

v) राजीनामे मे प्रतिवादी कम 3 मंजीत नागर को प्राप्त भूमि

ता सं.	ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
41		18.11 बीघा	
81		16.17 बीघा	
151		5 बिस्वा	
157		01.19 बीघा	हिस्सा 1/8
162		5 बिस्वा	
196		20.15 बीघा	
197		26.00 बीघा	
206		06.12 बीघा	

कुल किता 8 कुल रकबा 91.04 बीघा


v) राजीनामे मे वादी कम 2 नीरज नागर को प्राप्त भूमि

ता सं.	ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
41		18.11	बीघा
81		16.17	बीघा
151		5	बिस्वा
157		01.19	बीघा हिस्सा 1/6
162		5	बिस्वा
196		20.15	बीघा
197		26.00	बीघा
206		06.12	बीघा

कुल किता 8 कुल रकबा 91.04 बीघा

vi) राजीनामे मे प्रतिवादी कम 4 रूपनारायण को प्राप्त भूमि

ता सं.	ख.नं.	कुल रकबा	राजीनामे मे प्राप्त भूमि
41		18.11	बीघा


 उपस्थंड अधिकारी
 किशनगंज, जिला वारों (राज.)

181	5	बिस्वा		
181	01.19	बीघा		हिस्सा 1/8
187	5	बिस्वा		
196	20.15	बीघा		
196	26.00	बीघा		
197	06.12	बीघा		
206				

कुल कित्ता 8 कुल रकबा 91.04 बीघा

राजौनामे के क्र.सं.	कुल रकबा	राजौनामे के प्राप्त भूमि	
41	18.11	बीघा	
41	16.17	बीघा	
41	5	बिस्वा	
181	01.19	बीघा	हिस्सा 1/8
187	5	बिस्वा	
196	20.15	बीघा	
196	26.00	बीघा	
197	06.12	बीघा	
206			

कुल कित्ता 8 कुल रकबा 91.04 बीघा

रुद्र कि राजौनामे मे प्राप्त भूमि पर चादीगण एवं प्रतिवादीगण काविज काश्त किये हैं अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है ।
 अतः राजौनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि चादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजौनामा लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये तस्दीक कर दिया कम 1 वाद घत्र मे एवं राजौनामे मे वर्णित आराजियात् ग्राम मामली पटवार रकबा आभली तहरशील किरानगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खेवट खतोनी है 77 पुरानी 76 ख.नं. 41 रकबा 18.11 बीघा किरम बारानी 2 लगानी 9.27रु., ख. नं. 81 बडवाला रकबा 16.17 बीघा किरम बारानी 2 लगानी 8.43रु., ख.नं. 151 बडवाला रकबा 5 बिस्वा किरम खेडा 1 लगानी 0.40रु., ख.नं. 157 बडवाला रकबा 1.19 बीघा किरम खेडा 1लगानी 3.12रु., ख.नं. 162 खेडावाला रकबा 5 बिस्वा किरम खेडा 1 लगानी 0.40रु., ख.नं. 196 रकबा 20.15 बीघा किरम बारानी 2 लगानी 10.38रु., ख.नं. 197 रकबा 26.00 बीघा किरम बारानी 2 लगानी 13.00 रु., ख.नं. 206 रकबा 6.12 बीघा किरम बारानी तृतीय लगानी 1.98 रु. कुल कित्ता 8 कुल रकबा 91.04 बीघा पर चादी कम 1 संदीप नागर को प्रतिवादी कम 1 बृजमोहन के स्थान पर हिस्से 1/8 पर एवं चादी कम 2 नीरज नागर को प्रतिवादी कम 4

(Signature)
 उपरान्त अधिकारी
 किरानगंज, जिला बारां (राज.)

रूपनारायण के स्थान पर हिस्से 1/6 पर एवं प्रतिवादी क्रम 2 लोकेश को हिस्से
 पर प्रतिवादी क्रम 1 बृजमोहन के स्थान पर एवं प्रतिवादी क्रम 3 मंजीत नागर
 हिस्से 1/8 पर प्रतिवादी क्रम 1 बृजमोहन के स्थान पर एवं प्रतिवादी क्रम 5
 नागर को हिस्से 1/6 पर प्रतिवादी क्रम 4 रूपनारायण के स्थान पर एवं
 क्रम 1 बृजमोहन को हिस्से 1/8 पर व प्रतिवादी क्रम 4 रूपनारायण को
 1/6 पर खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं
 क्रम 1 ता 5 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। अन्य
 घोषित सहायता वादीगण एवं प्रतिवादीगण को प्रदान की जावें।
 वादीगण की पहचान एड0 एस0के0 राणा ने की। पत्रावली का अवलोकन किया
 गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया।
 राजीनामा पत्रावली पर लेकर तस्दीक किया गया। राजीनामानुसार वादीगण का
 क्रम अन्तर्गत धारा 88,89,90 एवं 188 आर0टी0ए0 स्वीकार योग्य है। अतः
 राजीनामानुसार इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि वाकेग्राम मामली
 हल्का मामली तहसील किशनगंज की आराजी ख0न0 41 रकबा 18.11 बीघा
 81 नहरवाला रकबा 16.17 बीघा ख0न0 151 बडवाला रकबा 5 बिस्वा
 157 बडवाला रकबा 1.19 बीघा, ख0न0 162 खेडावाला रकबा 5 बिस्वा,
 196 रकबा 20.15 बीघा, ख0न0 197 रकबा 26.00 बीघा, ख0न0 206 रकबा 6.
 बीघा कुल किता 8 कुल रकबा 91.04 बीघा पर वादी क्रम 1 संदीप नागर को
 प्रतिवादी क्रम 1 बृजमोहन के स्थान पर हिस्से 1/8 पर एवं वादी क्रम 2 नीरज
 नागर को प्रतिवादी क्रम 4 रूपनारायण के स्थान पर हिस्से 1/6 पर एवं प्रतिवादी
 क्रम 2 लोकेश को हिस्से 1/8 पर प्रतिवादी क्रम 1 बृजमोहन के स्थान पर एवं
 प्रतिवादी क्रम 3 मंजीत नागर को हिस्से 1/8 पर प्रतिवादी क्रम 1 बृजमोहन के
 स्थान पर एवं प्रतिवादी क्रम 5 रोहित नागर को हिस्से 1/6 पर प्रतिवादी क्रम 4
 रूपनारायण के स्थान पर एवं प्रतिवादी क्रम 1 बृजमोहन को हिस्से 1/8 पर
 प्रतिवादी क्रम 4 रूपनारायण को हिस्से 1/6 पर खातेदार घोषित किया जाता है।
 वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के
 आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते हैं। निर्णय आज दिनांक 30.09.2019
 को सरेइजलास सुनाया गया।



(चन्दन दुबे)
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 किशनगंज
 किशनगंज, जिला बारां (राज.)